



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना-800001
PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA-01
फोन : (0612) 2521928; ईमेल : rd-bihar@esic.gov.in
वेबसाइट : www.esic.gov.in

दिनांक- 03.04.2025

प्रेस नोट

ईएसआईसी औषधालय सह शाखा कार्यालय व शाखा कार्यालय द्वारा व भन्न स्थानों पर किया गया जागरूकता सत्र का आयोजन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा इन दिनों आमजन तक योजना की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में ईएसआईसी औषधालय सह शाखा कार्यालय मुजफ्फरपुर, कटिहार व शाखा कार्यालय डालमयानगर द्वारा क्रमशः केसरिया रेस्तरां, एनटीपीसी कांटी, सेंट्रल वेयरहाउस संग कॉरपोरेशन, रिलायंस स्मार्ट बाजार में बीमता कर्मचारियों को जानकारी दिया गया। जागरूकता सत्र में वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को ईएसआईसी द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना से अवगत कराते हुए च कत्सा एवं नकद हितलाभ को लेकर जागरूक किया गया। बीमारी की स्थिति में कैशलेस ईलाज प्राप्त कर पाने की माध्यमों व कसी दुर्घटना के कारण, बीमारी या मातृत्व अवकाश पर रहने की स्थिति में वेतन नुकसान के कारण ईएसआईसी द्वारा दी जाने वाली नकद हितलाभ के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर शाखा प्रबन्धक एवं अन्य कर्मि शा मल रहे।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान वैसे संस्थान जहाँ 10 या 10 से अधिक

कर्मचारी कार्यरत हों उनपर लागू हो जाती है और इसके अंतर्गत उन कर्मचारियों को परिवार के आश्रित सदस्यों के साथ पूर्ण चकत्सा सुवधा तथा नकद हितलाभ प्रदान करते हुए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है ।

